मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 11/04/2022

क्रमांक 750/30/2021/सत्रह/मेडि–1/:– विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक/7469/अप.क 225/19/विपुस्था/2021 भोपाल दिनांक 30.12.2021 द्वारा अपराध कमांक –225/2019 विरूद्ध श्रीमति जयंती पाटीदार, ए.एन.एम. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खामखेडा, जिला–खरगौन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7, 13(1)बी, 13(2) के अतंर्गत दण्डनीय अपराध के लिये न्यायालय में अभियोजित करने हेतु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) बी.सी. के अंतर्गत म.प्र. शासन की अभियोजन स्वीकृति चाही गई है।

2/ **अभिलेखो के अनंसार प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है** – आवेदक श्री अरविंद सोलंकी पिता श्री भारत सिंह सोलंकी ने दिनांक 24.09.19 को विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में एक टाईपशुदा शिकायत पुलिस अधीक्षक इंदौर के समक्ष पेश की, जिसमें आवेदक ने लेख किया कि उसके छोटे भाई श्री प्रवीण सोलंकी की पत्नि श्रीमति प्रतिभा सोलंकी को डिलेवरी हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खामखेडा में दिनांक 18.09.2019 की सुबह लेकर गया था। प्रतिभा को प्रसव पीडा हो रही थी। आवेदक को उसके भाई प्रवीण ने बताया कि अस्पताल में ए.एन.ए म. श्री मति जयंती पाटीदार द्वारा प्रसव हेतु 1000–800 रूपये की मॉग की गई तब आवेदक के भाई प्रवीण सोलंकी ने 400/– रूपये तुरंत श्रीमति जयंती को दे दिये गये थे। आवेदक के भाई प्रवीण की पत्नि को दिनांक 18.09.2019 को सुबह 05.20 बजे लड़की हुई थी। इसके बाद दिनांक 20.09.2019 को श्रीमति प्रतिभा को डिस्चार्ज कर दिया गया लेकिन डिस्चार्ज के कागज देने के एवज में श्रीमति जयंती पाटीदार द्वारा आवेदक के भाई से शेष राशि की मांग की।

आवेदक द्वारा दिनांक 214.09.19 को लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत करने पर उसे दिये शासकीय वाईस रिकार्डर में आवेदक ने दिनांक 25.09.2019 को आरोपिया से मिलकर उसकी रिश्वत मांग संबंधी बातचीत को रिकार्ड किया जिसमें आरोपिया जयंती पाटीदार द्वारा शेष रिश्वत राशि पांच सौ रूपये लेना तय किया । आरोपिया द्वारा आवेदक से रिश्वत की मांग की जाना प्रमाणित पाये जाने वर अपराध पंजीवद्ध कर दिनांक 26.09.2019 को विधिवत ट्रेप का आयोजन किया गया एवं दिनांक 26.09.2019 का आरोपिया श्रीमति जयंती पाटीदार को श्री अरविंद सोलंकी से पांच सौ रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इस प्रकार विवेचना में संकलित अभिलेखीय/भौतिक दस्तावेजों के आधार पर श्रीमति पयंती पाटीदार, ए.एन.एम. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खामखेडा, जिला – खरगौन द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का अपराध कारित किया जाना प्रमाणित पाया गया है।

3/ संचालनालय स्तर पर अभियोजन स्वीकृति से संबंधित प्राप्त होने वाले समस्त प्रकरण पर विचार करने हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 10.02.2022 में प्रकरण को अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की गई है।

4/ तद्नुसार राज्य शासन एतद् द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र कमांक एफ 15–1/2014/1–10 दिनांक 05.09.2014 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.04.2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए श्रीमति जयंती पाटीदार,ए.एन.एम. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खामखेडा, जिला–खरगौन के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, 13(1)बी, 13(2) के अंतर्गत दण्डनीय अवपराध के लिये न्यायालय में अभियोजित करने हेतु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) बी.सी.के अंतर्गत अभियोजन संस्थित करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

(सीमा डहेरिया)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण विभाग

पृष्ठांकन कमांक / 751 / 30 / 2021 / सत्रह / मेडि–1 भोपाल, दिनांक 11 / 04 / 2022

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. कलेक्टर, जिला खरगौन, म.प्र.।
5. प्रभारी महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, म.प्र. भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 7469 / अप.क 225 / 19 / विपुस्था / 2021, दिनांक 30.12.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
6 पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
7 संचालक, (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, . भोपाल।
8. अपर संचालक (प्रशासन / शिकायत), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–खरगौन, म0प्र0।
10. आदेश नस्ती।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण विभाग